निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 74 वर्ष 2018-2019

यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, हल्द्वानी के माह 12/2016 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 15/11/2018 से 24/11/2018 तक श्री एस के त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया है।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री मनोज कुमार नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं नन्दन सिंह भण्डारी, लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 15/12/2016 से 20/12/16 तक श्री दिनेश रमोला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2013 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सिचाई खंड, हल्द्वानी के अंतर्गत तराई भावर व पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई नहरें व गूल स्थापित करना है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2015-2016	-		574.30	572.14	2710.71	2023.15	2.16	687.56
2016-2017	-		586.85	546.39	1954.13	1849.81	40.46	104.32
2017-2018	-		649.82	616.29	943.64	943.64	33.53	
2018-19 (up to date)			496.18	418.87	437.87	325.21		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि - रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16	सूखी नदी के किनारे बाड़ सुरक्षा कार्य	-	852.19	299.94	552.25
2015-16	ननधोर नदी किनारे बाड़ सुरक्षा कार्य	-	203.20	203.20	-
2015-16	गोलावार भाभर क्षेत्र मे 64 किमी गुलों की योजना	-	96.00	96.00	-
2016-17	सूखी नदी के किनारे बाड़ सुरक्षा कार्य	-	426.00	426.00	

(iii) गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत ,राज्य सरकार है।

(iv) इकाई की श्रेणी “A” है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) सचिव , सिचाई विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे:

(2) प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अभियंता, गड़वाल क्षेत्र स्तर -2, मुख्य अभियंता, कुमायु हल्द्वानी, मुख्य अभियंता प्रशिक्षण संस्थान कलागड़,मुख्य अभियंता परियोजना गड़वाल यमुना कालोनी देहारादून, मुख्य अभियंता परिकल्प रुड़की, मुख्य अभियंता यांत्रिक देहरादून, अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल देहरादून ।

(4) अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्य मण्डल रुद्रप्रयाग (5) अधिशासी अभियंता (6) सहायक अभियंता

(7) कनिष्ठ अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक ,(2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान सहायक ,(7) वरिष्ठ सहायक ,(8) कनिष्ठ सहायक ।

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, हल्द्वानी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 3/2017 एव 7/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा .....13....., लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 16/03/2018 से 17/3/2018 तक निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह ..... तथा ..... तक की गई। (पंजिका अपूर्ण थी)

5. फार्म 51: माह 10/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

भाग प्रथम ` 24,11,894.00

भाग द्वितीय ` 208098.90

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 10/2018 के अन्त में (धनराशि रु मे)

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 37,276.00

(ख) सामग्री क्रय शून्य

(ग) नगद परिशोधन शून्य

(घ) निक्षेप (रु मे) ` 9989954.00

(ङ) भण्डार ` 1299995.00

भाग-2 (अ)

प्रस्तर -1 समान कार्य हेतु दोहरे अनुबंध गठित कर भुगतान करने के कारण धनराशि ` 60.84 लाख की शासकीय हानि ।

राज्य सरकार के शासनादेश संख्या 69/ 11-2014-03 (15) /2012 दिनांक 24 जनवरी 2014 द्वारा केन्द्र पोषित बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद - नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी के अन्तर्गत सूखी नदी के किनारे स्थित ग्रामों को सूखी नदी से बचाव हेतु कटाव निरोधक कार्य की योजना (स्कीम कोड-19) स्वीकृत की गयी थी। योजना की स्वीकृत लागत ` 1627.19 लाख थी जिसमें केन्द्रान्श एवं राज्यांश की राशि 70:30 के अनुपात में क्रमश: ` 1139.00 लाख एवं ` 488.00 लाख थी। राज्य सरकार द्वारा अपना पूर्ण अंश जनवरी 2014 में अवमुक्त कर दिया गया था। केन्द्र द्वारा मार्च 2016 तक ` 713.00 लाख (` 287.00 लाख मई 2014 व ` 426.00 लाख मार्च 2016) की राशि अवमुक्त की गयी थी। जून 2015 में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के अंश के एवज में ` 426.03 लाख की राशि खण्ड को अवमुक्त की थी। सम्प्रेक्षा तिथि (अक्टूबर 2018) तक योजना पर ` 1613.09 लाख का व्यय किया गया था।

सिचाई खण्ड, हल्द्वानी के अभिलेखों की जांच में ज्ञात हुआ कि संदर्भित योजना में नदी द्वारा अत्यधिक मात्रा में किए जा रहे कटाव वाले 11.940 किमी लम्बाई में विभिन्न स्थलों (किमी 0.500-1.250, 7.500-8.000, 10.000-10.500 के अतिरिक्त) पर स्टड (stud), टो-प्रोटेक्शन (Toe-Protection) एवं स्पाईल प्रोटेक्शन (Spill Protection) के कार्य कराये जाने थे। योजना सम्पादन हेतु अधीक्षण अभियन्ता स्तर से रीच1.5 किमी से 9.5 किमी तक कार्य के लिए एक अनुबन्ध फरवरी 2014 में मै॰ प्रभु कंस्ट्रक्शन, लखनऊ के साथ धनराशि ` 12.12 करोड़ गठित किया गया था किन्तु कार्य को पूर्ण करने की तिथि (फरवरी 2015) एवं तत्पश्चात समयावृद्धि (फरवरी 2016) तक कार्य की धीमी गति के कारण अनुबन्ध रद्द कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, कार्य के सम्पादन हेतु वर्ष 2013-14 में तीन अनुबन्ध (अनुबन्ध संख्या

14,15 व 16) वर्ष 2014-15 में 07 अनुबन्ध (अनुबन्ध संख्या 8 से 14) तथा वर्ष 2015-16 में 18 अनुबन्ध (अनुबन्ध संख्या 7,44,47 एवं 53 से 67) खंड द्वारा विभिन्न ठेकेदारों के मध्य किये थे। गठित अनुबंधों की क्रमवार जांच में प्रकाश में आया कि खण्ड द्वारा रीच 9.50 कि0मी0 से 11.740 कि0मी0 पर कार्य हेतु वर्ष 2013–14 व वर्ष 2014–15 में अधोलिखित 6 अनुबंध गठित किये गये थे–

क्रमांक	अनुबंध संख्या/वर्ष	रीच का विवरण (कि0मी0 में)	अनुबंधित राशि (रू0 में)
1	2	3	4
1	Ag/14/2013-14	9.50-9.75	3000250.00
2	Ag/09/2014-15	9.75-10.00	2566202.00
3	Ag/16/2013-14	10.500-10.750	4770520.00
4	Ag/08/2014-15	10.750-11.000	2558968.00
5	Ag/13/2014-15	11.250-11.485	3430060.00
6	Ag/14/2014-15	11.500-11.740	3438900.00

तत्पश्चात वर्ष 2015–16 में खण्ड द्वारा रीच 9.500 से 11.650 कि0मी0 व रीच 11.700 से 11.720 कि0मी0 तक पुनः दो अनुबंध क्रमशः Ag/EE/44/2015-16 व Ag/EE/47/2015-16 धनराशि रू0 5254325.00 व रू0 1008705.00 के गठित किये गये, जिनके सापेक्ष धनराशि रू0 5065894.00 व रू0 1017669.00 के भुगतान सम्बंधित ठेकेदारों को किये गये थे, जबकि उपरोक्त सभी अनुबंधों के कार्यों की मदों में (Schedule B के अनुसार) कोई अन्तर नहीं था। इस प्रकार खण्ड द्वारा वर्ष 2015–16 में समान रीच पर समान कार्य हेतु पुनः अनुबंध गठित कर धनराशि रू0 60.84 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा उक्त के सम्बंध में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया था तथा सम्बंधित सूचना तत्कालीन अधिकारियों से प्राप्त कर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था, क्योंकि खण्ड द्वारा गठित अनुबंधों, अन्तिम बिलों एवं माप–पुस्तिका से समान रीच पर दोहरे भुगतान की पुष्टि होती है।

अतः प्रस्तर शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर सं01 रू0 17.27 लाख की धनराशि का संविदाकारों को अधिक भुगतान किया जाना।

शासन के पत्रांक संख्या 2137/111(2)/17–27(सामान्य)/2007 दिनांक 05 सितम्बर 2017 में दिनांक 1.7.2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त देयकों के भुगतान/निविदा की प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश मे case-1 में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 30.6.2017 तक दाखिल एम0बी0 के सम्बन्ध में कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होगा तथा इसके उपरान्त प्रस्तुत एम0बी0 के सम्बन्ध में कर के दायित्व का निर्धारण जी0एस0टी0 के प्राविधानों के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन्वाईस प्रस्तुत किया जाता है, तो इस बिल की तिथि को संविदाकार की कर देयता होगी।

उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 2 की उप धारा 119 में " work contract" means a contract for building construction, Fabrication, completion, errection, installation, fittingout, improvement, modification, repair maintence, renovation, alteration or commissing of any immovable property wherein transfer of property in goods (whether as goods or in same other form) is involved in the execution of such contract का कार्य करने वाले संविदाकारों को भी डीलर (व्यौहारी) माना गया है, इसलिये प्रत्येक डीलर जिसका कारोबार उत्तराखण्ड में रू0 10.00 लाख प्रतिवर्ष है, उसे माल एवं सेंवाकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है तथा प्रत्येक पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी को अधिनियिम की धारा 31 के अनुसार बिक्री किये गये माल एवं सेवा की टैक्स इन्वाइस निर्धारित प्रारूप में जारी करना अनिवार्य है।

Government of India/State
Department of ……..

Form GST INV – 1
(See Rule --------)
Application for Electronic Reference Number of an Invoice

1. GSTIN
2. Name
3. Address
4. Serial No. of Invoice
5. Date of Invoice

Details of Receiver (Billed to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Details of Consignee (Shipped to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Sr. No.	Description of Goods	HSN	Qty.	Unit	Rate (per item)	Total	Discount	Taxable value	CGST		SGST		IGST	
									Rate	Amt.	Rate	Amt.	Rate	Amt.
	Freight Insurance Packing and Forwarding Charges													
		Total												
	Total Invoice Value (In figure) Total Invoice Value (In Words)													
	Amount of Tax subject to Reverse Charges													

तथा जारी (Tax Invoice) बिक्री के बिलों पर अलग से बिल की धनराशि के साथ सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 कर की मॉग अलग से प्रदर्शित करनी होगी, तभी उनकों अलग से देय कर सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 धनराशि का भुगतान किया जा सकता था, अन्यथा अलग से कर का भुगतान नही किया जा सकता। अधिनियम की धारा 122(1) की उप धारा (i) के अनुसार यदि कोई पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी किसी बीजक के जारी किए बिना, किसी माल या सेवा या

दोनों की पूर्ति करता है, या ऐसा किसी पूति के लिये झूठा या गलत बीजक जारी करता है तो वह अपराध करता है। या धारा 122 (3) (ड) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है, या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिऐ कैफियत देने में असमर्थ रहता है, या धारा 132 (1) की उप धारा (क) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना ही किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति कर अपवंचन के आशय से करता है, तो ऐसी शास्ति के लिये दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकेगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिचाई खण्ड हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाया गया कि संविदी विभाग के द्वारा माह 1/7/2017 से माह 31/3/2018 तक में संविदाकार से बिना टैक्स इनवाइस प्राप्त किये ही कुल रू0 1,43,87,889.00 कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान (अर्थात रू0 1,26,61,343.00 तथा रू0 17,26,546.00 जी0एस0टी0 कर की धनराशि का अतरिक्त भुगतान) किया गया था। जबकि संविदी विभाग के द्वारा संविदाकार को कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार जारी टैक्स इन्वाइस पर ही किया जाना चाहिऐ था, साथ ही संविदाकारों को भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित अभिलेखों में यह भी पाया गया कि सभी संविदाकार केवल वैट में ही रजिस्टर्ड थें, जबकि प्रावधानों के अनुसार उनकों सी0जी0एस0टी में भी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य था, तभी उनकों जी0एस0टी0 कर का भुगतान किया जा सकता था,यदि उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिल प्रस्तुत कर अलग से जी0एस0टी0 कर की मॉग की गई होती तो ही अन्यथा नही। संविदाकार के द्वारा ना तो अलग से शिडुयल बी में जी0एस0टी0 कर की अलग से माँग की गयी थी, और ना ही उसके द्वारा अपनी टैक्स इन्वाइस जारी कर अलग से जी0एस0टी0 कर की माँग की गयी थी। फिर भी विभाग के द्वारा संविदाकारो को टैक्स धनराशि का अलग से भुगतान रू0 98,93,827.00 किया गया था, जोकि वस्तु एंव सेवाकर अधिनियम 2017 में उल्लिखित प्रावधानों एवं शासनादेश संख्या 2137 दिनांक 5 सितम्बर 2017 में उल्लिखित शर्तो के विरूद्व था। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट होता है, कि रजिस्टर्ड ब्यौहारी संविदाकर की मंशा ही कर अपवंचन करने की थी, इसलिये उसके द्वारा सी0जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के प्रावधानो का पालन सुनिश्चित किये बिना ही संविदी विभाग से कार्य संविदा की धनराशि एवं अलग से 12 प्रतिशत कर जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान प्राप्त किया गया था। इसलिये

माल एवं सेवाकर अधिनियमों 2017 एवं नियमो के विरूद्व संविदाकारो को भुगतान की गयी संविदा एवं कर की धनराशि वसूली योग्य है। तथा उस पर धारा 122 (1) का (i),(xv) एवं अधिनियम की धारा 132(1) (क) के अनुसार अपराध एवं शास्ति के प्रावधान भी लागू होगे।

इस संबंध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि संविदाकरों को जी0एस0टी0 की धनराशि को राजकोष में जमा करने सम्बन्धी प्रमाण प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी तथा यदि किसी संविदाकार द्वारा भुगतान की गई जी0एस0टी0 की धनराशि को राजकोष में जमा करने का प्रमाण–पत्र नही उपलब्ध कराया जाता है तो सम्बन्धित से धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जायेगी।

विभाग का उत्तर मान्य नही है, क्योकि खण्ड कार्यालय के द्वारा संविदाकरों को जी0एस0टी0 की अतिरिक्त धनराशि 12 प्रतिशत का भुगतान तभी किया जाना चाहिऐ था, जबकि उनके द्वारा जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के अनुसार कार्य की टैक्स इन्वाइस प्रस्तुत कर अलग से कर की मॉग की गयी होती। विभाग की इस लापरवाही से खण्ड कार्यालय के द्वारा संविदाकरों को जी0एस0टी0 धनराशि का अधिक भुगतान कर दिया गया था। जिसकी वसूली सम्प्रेक्षा में लम्बित रहेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-2 रु 37,276.00 विविध अग्रिम वसूली हेतु लंबित राशि का प्रकरण एवं स्टॉक सामग्री का रु 12,99,995.00 का समायोजन नहीं किया जाना ।

(क) वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 578 के अनुसार विविध अग्रिम को निम्न चार श्रेणियों मे विभाजित किया गया है (1) उधार विक्रय (2) डिपॉजिट मद मे प्राप्त राशि से अधिक व्यय (3) हानि , त्रुटि के कारण हानि,आदि (4) अन्य मद मे ,किसी भी प्रकार से शासकीय हानि , इन सभी प्रकरणो मे अधिकारियों /कर्मचारियो /फर्मो/ठेकेदारो /अन्य विभागो के विरुद्ध विविध अग्रिम डाला जाता है एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 584 के अनुसार इन सभी मदो मे विविध अग्रिम की धनराशि की वास्तविक वसूली की जानी चाहिए या किसी कारण से वसूली न हो पाने की दशा मे सक्षम अधिकारी के आदेश से जब तक बट्टे खाते मे न डाला जाए तब तक विविध अग्रिम लेखे से न हटाया जाए।

कार्यालय के लेखा अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि निम्न विवरण मासिक लेखा माह 10/2018 के अनुसार अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध विविध अग्रिम अन्य मद, फर्मों/ ठेकेदारों के विरुद्ध विविध अग्रिम की धनराशि रु 37,276.00 लम्बी अवधि से वसूली हेतु लंबित है इस संबंध मे समायोजन की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि - पत्राचार किया जा रहा है । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि वसूली लम्बी अवधि से नहीं की जा सकी है। अत: रु 37,276.00 की वसूली लंबित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

(ख) वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 188 के अनुसार स्टॉक मे अवशेष सामग्री की घोषणा सक्षम अधिकारी द्वारा कर दी जाती है तो सामग्री को अन्य कार्यालय या अन्य विभाग को उपयोग हेतु अधिसूचना जारी की जानी चाहिए ओर जहां आवशयकता हो स्टॉक हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए, यह कार्यवाही प्रकाशन की तिथि से 6 माह मे पूर्ण हो जानी चाहिए ।

कार्यालय की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- स्टाक पंजिका वर्ष /माह 10/2018 मे स्टाक अवशेष के रूप मे स्टाक रु 12,99,995.00 की सामग्री का प्रकरण लंबे समय से पड़ा है ,खंड स्तर पर समायोजन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है , यह धनराशि/सामग्री किन कारणो से अवशेष है। इस संबंध मे इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि- स्टॉक सामग्री निर्माण कार्य से संबन्धित है समायोजन की कार्यवाही प्रगति पर है ,उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि सामग्री का क्रय उसी समय किया जाना चाहिए जब सामग्री की उपयोग होने की सूचना स्वीकृत आगणन मे प्रावधानित हो, यदि सामग्री अवशेष है तो इसका अर्थ यह है कि- सामग्री का क्रय बिना अवशयकता के किया गया है ।

अत: रु 12,99,995.00 की अवशेष सामग्री का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है

STAN

प्रस्तर -1 : रु 2411894.00 के अंतर का असमायोजित रहने का प्रकरण।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 741 के अनुसार माह की समाप्ती पर यथाशीघ्र खंड के लेन-देन का कोषागार के साथ मासिक मिलान एव भिन्नताओ का समायोजन किया जाना चाहिए । कार्यालय की लेखापरीक्षा मे पाया गया कि - फार्म 51 के भाग प्रथम के अनुसार धनराशि रु 24,11,894.00 (विवरण संलग्न) को कोषागार द्वारा जमा के रूप मे सत्यापित नहीं किया गया है कार्यालय द्वारा जमा होना दर्शाया गया है इस राशि का कोषागार से सत्यापन/समाधान अभी तक क्यो नहीं किया गया है जब कि राशि का अंतर वर्ष 1973 से 2016 के मध्य का है इस संबंध मे लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि- फार्म -51 तैयार करने के पश्चात उक्त अवशेष प्रदर्शित हो रहे है जिसके समायोजन हेतु कोषागार से पत्राचार/मिलान की कार्यवाही की जा रही है मिलान के उपरांत लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा ।

उत्तर लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि यह प्रकरण कोषागार मे जमा राशियो से संबन्धित है समाधान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि राशि यदि कोषागार मे जमा नहीं हुई है तो इसके क्या कारण है राशि कहाँ गयी ताकि यथा संभव उचित कार्यवाही की जा सके ।

अत: रु 24,11,894.00 के अंतर क असमायोजित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर : 2 - रु 26.77 लाख राशि अवरुद्ध रखने का प्रकरण।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 634 के अनुसार डिपॉजिट निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात अवशेष धनराशि ग्राहक विभाग को वापस कर देनी चाहिए । लेखापरीक्षा मे पाया गया की निम्नलिखित विवरण के अनुसार पूर्ण निर्माण कार्यो की अवशेष धनराशि खंड स्तर पर अवरुद्ध पड़ी है।

क्रम संख्या	राशि प्राप्ति का माह /वर्ष	कार्य का नाम	धनराशि लाख मे
1	7/1993	गौला बैराज मे ग्रिल कार्य	1.70
2	5/1997	जिला अधिकारी नैनीताल से एसआरएमडी मद मे	1.41
3	3/2014	समाज कल्याण विभाग का मरम्मत कार्य	4.88
4	4/2015	जलाशय निर्माण हेतु	3.12
5	3/2017	जलाशय निर्माण हेतु	15.66
		कुल अवशेष राशि	26.77

उपरोक्त रु 26.77 लाख धनराशि कार्य पूर्ण होने के पश्चात वर्ष 1993 से 2017 के मध्य खंड स्तर पर अवरुद्ध पड़ी है । जबकि कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्माण कार्य यथाशीघ्र ग्राहक विभाग को हस्तगत करके एवं कार्य से संबन्धित लेखे बंद करके अवशेष धनराशि ग्राहक विभाग को वापस कर देनी चाहिए परंतु इस धनराशि को खंड स्तर पर अवरुद्ध रखा गया है । लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि- कुछ धनराशि राज्य के गठन के पूर्व की है तथा कुछ कार्यो का भुगतान शेष है । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि रु 26.77 लाख की राशि लम्बी अवधि (वर्ष 1993 - 2017) से असमायोजित पड़ी है । अत: रु 26.77 लाख राशि अवरुद्ध रखने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
57/2017-18	-	1	1,2,
योग	**00**	**1**	**2**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनुपालन आख्या बाद मे प्रेषित की जाएगी।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, हल्द्वानी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(1)	श्री ए एस बिष्ट	अधिशासी अभियंता
(2)	श्री तरुण कुमार बंसल	अधिशासी अभियंता

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(1)	श्री डी एस मेहता	खण्डीय लेखाधिकारी
(2)	श्री मानस पाण्डेय	खण्डीय लेखाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, हल्द्वानी, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन

आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 को प्रेषित की जाए ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र-2